



उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय

सैफई, इटावा (उ०प्र०) – 206 130

Uttar Pradesh University of Medical Sciences

Saifai, Etawah (U.P.) - 206 130

सं०: 1678 / यूपीयूएमएस / प्रशासन(1343-सी०डी०) / 2024-25

दिनांक: 20 अगस्त, 2024

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं० 24 / यूपीयूएमएस / प्रशासन(1343-सी०डी०) / 2024-25 दिनांक 02 अप्रैल, 2024 के द्वारा डॉ० संजय काला, प्रोफेसर-सर्जरी एवं प्राचार्य, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर को विश्वविद्यालय की Student Grievance Redressal Committee के निर्णयों के विरुद्ध छात्रों द्वारा की जाने वाली अपीलों को सुनने/निर्णय लिये जाने के लिये Ombudsperson के रूप में नियुक्त किया गया था।

विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 में एजेण्डा बिंदु 11-16 के अन्तर्गत निर्धारित सेवा शर्तों के बिंदु-iii के आलोक में सम्यक विचारोपरांत डॉ० संजय काला, प्रोफेसर-सर्जरी एवं प्राचार्य, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर को Ombudsperson के पद से कार्यमुक्त किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(डा० चन्द्रवीर सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
2. डा० संजय काला, प्रोफेसर-सर्जरी एवं प्राचार्य, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर।
3. वित्त अधिकारी।
4. समस्त संकायाध्यक्ष।
5. संकायाध्यक्ष (छात्र कल्याण)/अध्यक्ष-Student Grievance Redressal Committee
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. नोडल अधिकारी-यू०जी०सी०, यू०पी०यू०एम०एस०, सैफई।
8. प्रभारी-वेबसाइट मैनेजमेंट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. निजी सचिव को मा० कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
10. निजी स्टाफ, प्रति-कुलपति।
11. निजी स्टाफ, कुलसचिव।
12. गार्ड फाइल।

(डा० चन्द्रवीर सिंह)
कुलसचिव

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय

सैफई, इटावा (उ०प्र०) – 206 130

Uttar Pradesh University of Medical Sciences

Saifai, Etawah (U.P.) - 206 130

सं०: 1679 / यूपीयूएमएस / प्रशासन(1343-सी०डी०) / 2024-25

दिनांक: 26 अगस्त, 2024

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 के प्राविधानों एवं विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 में एजेण्डा बिंदु 11-16 के अन्तर्गत निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन डॉ० दीपक मालवीय, प्रोफेसर (से०नि०), एनेस्थिसियोलॉजी/पूर्व निदेशक, डॉ० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को विश्वविद्यालय की Student Grievance Redressal Committee के निर्णयों के विरुद्ध छात्रों द्वारा की जाने वाली अपीलों को सुनने/निर्णय लिये जाने के लिये तीन वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने तक, जो भी पहले हो, Ombudsperson के रूप में नियुक्त किया जाता है।

उक्त आदेश विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की आगामी बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है।

Ombudsperson को देय sitting fee का निर्धारण अलग से किया जायेगा।

(डा० चन्द्रवीर सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
2. डॉ० दीपक मालवीय, 1/207, विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ०प्र०।
3. वित्त अधिकारी।
4. समस्त संकायाध्यक्ष।
5. संकायाध्यक्ष (छात्र कल्याण)/अध्यक्ष—Student Grievance Redressal Committee
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. नोडल अधिकारी—यू०जी०सी०, यू०पी०यू०एम०एस०, सैफई।
8. प्रभारी—वेबसाइट मैनेजमेंट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. निजी सचिव को मा० कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
10. निजी स्टाफ, प्रति—कुलपति।
11. निजी स्टाफ, कुलसचिव।
12. गार्ड फाइल।

(डा० चन्द्रवीर सिंह)
कुलसचिव



उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय

सैफई, इटावा (उ०प्र०) – 206 130

Uttar Pradesh University of Medical Sciences

Saifai, Etawah (U.P.) - 206 130

सं०: २५ / यूपीयूएमएस / प्रशासन(1343-सी०डी०) / 2023-24

दिनांक: ०२ अप्रैल, 2024

कार्यालय आदेश

०७ | CAC

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 के प्राविधानों के अनुसार विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 में एजेण्डा बिंदु 11-16 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के क्रम में डा० संजय काला, प्रोफेसर-सर्जरी एवं प्राचार्य, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर को उक्त एजेण्डा में उल्लिखित शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय की Student Grievance Redressal Committee के निर्णयों के विरुद्ध छात्रों द्वारा की जाने वाली अपीलों को सुनने/निर्णय लिये जाने के लिये अधिकतम तीन वर्ष अथवा कार्य परिषद द्वारा अन्य सदस्य को नामित किये जाने तक, जो भी पहले हो, Ombudsperson के रूप में नियुक्त किया जाता है।

Ombudsperson को देय sitting fee का निर्धारण अलग से किया जायेगा।

(डा० चन्द्रवीर सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. डा० संजय काला, प्रोफेसर-सर्जरी एवं प्राचार्य, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर।
2. वित्त अधिकारी।
3. समस्त संकायाध्यक्ष।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।
5. प्रभारी सी०ए०सी० को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. नोडल अधिकारी-यू०जी०सी०, यूपीयूएमएस।
7. वैयक्तिक सहायक को मा० कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
8. निजी स्टाफ, प्रति-कुलपति।
9. निजी स्टाफ, कुलसचिव।
10. गार्ड फाइल।

(डा० चन्द्रवीर सिंह)
कुलसचिव

Mr. Lal
[Signature]